उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-283/ग्यारह-2-26-9 (47)/17-टी.सी.-305-उ०प्र०अधि0-1-2017-

आदेश-(374)-2026

लखनऊ: दिनांक:24-07-2026

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 112 की उप-धारा (3) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या-97/XI-2-26-9(47)/17-टी.सी.-302-यू.पी.एक्ट-1-2017-आदेश- (371)-2026, दिनांक 28 फरवरी, 2026 का उन बातों के सिवाय अधिक्रमण करके जो, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गयी हो या किए जाने हेतु लोपित हो, राज्यपाल, एतत् द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर, 31 जुलाई, 2026 को उस तारीख के रूप में अधिसूचित करती है, जिस तारीख तक, यथास्थिति, अपील या आवेदन, इस अधिनियम के अधीन अपीलीय अधिकरण के समक्ष उन सभी मामलों, जिनमें आदेश के खिलाफ अपील किया जाना अपेक्षित है, के संबंध में दाखिल किया जा सकता है, जिन आदेशों को,

(i) दिनांक 01 मई, 2026 से पहले अपील करने वाले व्यक्ति को सूचित किया जाता है, और दिनांक 01 मई, 202 6 को या उसके बाद सूचित आदेशों के संबंध में सभी अपीलें धारा 112 की उप-धारा (1) में दिए गए अनुसार जिस तारीख को सूचित किया जाता है, उस तारीख के तीन माह के भीतर अपीलीय अधिकरण के समक्ष दाखिल की जा सकेंगी,

(ii) दिनांक 1 फरवरी, 2026 से पहले पारित किया जाता है, और 1 फरवरी, 2026 को या उसके बाद पारित आदेशों के संबंध में सभी आवेदन धारा 112 की उप-धारा (3) में दिए गए अनुसार अपीलीय अधिकरण के समक्ष उस तारीख से छह महीने के भीतर दाखिल किए जा सकेंगे जिस दिन उक्त आदेश पारित किया गया है।

आज्ञा से,

Digitally signed by
KAMINI CHAUHAN RATAN
Date: 24-07-2026
20:08:40

(कामिनी चौहान रतन)

प्रमुख सचिव।